फर्द अहकाम

राजेशप्रसाद बनाम छीतर व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 14/2024 (टी.आई.)

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। निरन्तर अवसरों उपरान्त भी बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पूर्ण/प्रस्तुत नहीं की गई है मूलवाद साक्ष्यवादी प्रक्रिया में नियत है अतः पत्रावली वास्ते उचित आदेश/निर्देश दिनांक 21/07/25 को पेश हो। ह. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	21/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से निरन्तर अवसरों उपरान्त भी बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आज भी अवसर चाहा गया है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है अतः प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मिन प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि ग्राम जगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर [illegible] राजस्व खाता [illegible] नं. 111 लगायत [illegible] 210, 28, 342, 34[illegible] 79, 86 कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 2.80 के सन्दर्भ में मिन प्रार्थी/वादी को 1/5 हिस्से का, राजस्व खाता सं. 33 की	P.T.O.

ह.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राजेश बनाम घीसा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 14/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	21/07/25	भूमि खसरा नं. 84, 86 कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 0.04 है. का मिन प्रार्थी/वादी को 1/20 हिस्से का तथा राजस्व खाता सं. 76 की भूमि आ.ख.नं. 293 रकबा 0.05 है. में मिन प्रार्थी वादी को 1/160 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किए जाने के आशय का मूलवाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है जो साक्ष्यवादी की प्रक्रिया में लम्बित है। उक्त वर्णित भूमि में से खाता सं. 41 की भूमि कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 2.80 है. अप्रार्थी-1 के नाम अंकित है, खाता सं. 33 की भूमि ख.नं. 84, 86/696 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.04 है. में अप्रार्थी-1 का 1/4 हिस्सा, खाता सं. 76 की भूमि खसरा नं. 293 रकबा 0.05 है. में अप्रार्थी-1 का 1/32 हिस्सा दर्ज अंकित है जो वाद का विषय होकर वादग्रस्त भूमि है। अप्रार्थी-1 मिन प्रार्थी वादी का सगा भाई है तथा उल्लेखित भूमि वादग्रस्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जो मूल रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा/ससुर नाथ्या उर्फ नाथूराम की खातेदारी में दर्ज अंकित रही है। नाथ्या उर्फ नाथूराम की मृत्यु हो जाने	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

राजेश बनाम घीसा व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

संख्या 14/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/07/25	पर भूमि वादग्रस्त नाथ्या के एक मात्र पुत्र रामसहाय जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी-1 का पिता है के नाम दर्ज होनी अपेक्षित थी परन्तु रामसहाय (प्रार्थीगण का पिता/पति) की मृत्यु अपने पिता नाथ्या के जीवनकाल में ही हो जाने से, नाथ्या की मृत्यु पर अप्रार्थी-1 द्वारा उसके आपको रामसहाय पुत्र नाथूराम का एक मात्र विधिक वारिस होना बताकर उल्लेखित पुश्तैनी आराजी भूमि वादग्रस्त का विरासत नामांतकरण स्वयं के अकेले के नाम तस्दीक कराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जबकि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त पैतृक भूमि होने तथा प्रार्थी का भी रामसहाय का पुत्र होने से प्रार्थी का भी उक्त भूमि में अप्रार्थी-1 के समान हिस्सा निहित है। जिसकी घोषणा व दुरुस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रार्थी/वादी विधिक अधिकारी है जिसके संदर्भ में मूलवाद साक्ष्य प्रक्रिया में लम्बित है परन्तु अप्रार्थी-1 वाद निर्णय से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त को विक्रय करने तथा मिन प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे अतः अप्रार्थी-1 को वाद निर्णय तक भूमि वादग्रस्त के विक्रय हस्तांतरण तथा मौके की यथास्थिति बाबत पाबन्द	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राजेश बनाम दौलत व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 14/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	21/07/25	नहीं किया गया तो अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थी के हित के विरुद्ध बाहरी व्यक्ति को भूमि पर निर्माण कार्य करके व प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर बेचान कर प्रार्थी के हक हकूकों को सदा के लिए समाप्त कर देगा। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तायफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उल्लेखित वादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा भूमि का बेचान, हस्तांतरण आदि ना करें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति दिनांक 15/5/24, 06/06/24 के क्रम/अनुक्रम में निरन्तर अवसरों उपरान्त भी वादपत्र व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों का किसी भी सक्षम स्तर पर कोई मान्य/विधिक/औपचारिक खंडन अथवा प्रतिरोध आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई जवाब ही प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम में विधिवत प्रक्रिया P.T.O.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

राजेश बनाम दौलत व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 14/2024 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
21/07/25	अनुसार अप्रार्थीगण का अवसर जवाब भी पूर्व में ही बन्द किया गया है जिसके उपरान्त बहस प्रा.पत्र टी.आई. हेतु भी निरन्तर अवसर दिए जाने के उपरान्त भी बहस भी प्रस्तुत नहीं की जा रही है जबकि प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजात के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है यद्यपि प्रकरण का निस्तारण/अंतिम निर्णय साक्ष्य की गुणवत्ता के अधीन विषय है। जिसके बाबत मूलवाद साक्ष्य वाली प्रक्रिया में नियत है परन्तु चूंकि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र व हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी सक्षम स्तर पर व किसी भी सक्षम/औपचारिक आधार पर भी कोई खण्डन/प्रतिरोध व जवाब आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही पूर्व से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.03.24 के संदर्भ में ही किसी प्रकार की कोई उज्र/आपत्ति ही प्रस्तुत की गई है। तथा चूंकि मूलवाद साक्ष्य प्रक्रिया में नियत है जिससे भी वाद निस्तारण तक भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत भी न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत [illegible] स्थगन आदेश दिनांक 26/3/24	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

राजेश बनाम छीतर व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 14/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/07/25	को लाफैसला मुलतवी स्थाई किया जाता है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 111 ता 116, 115/695, 206, 210, 28, 54, 60, 66, 67, 79, 86, 342, 345 कुल खसरा किता 18 कुल रकबा 2.80 आ. ख. नं. 84, 86/696 कुल रकबा किता 2 कुल रकबा 0.04 है. व खसरा नं. 293 रकबा 0.05 है. वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा भूमि का विक्रय, हस्तांतरण आदि नहीं करेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested